# न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

## पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, I.A.S.

## पत्रावली संख्या : 84/17 (प्रा0पत्र)

**अनवान्**

1. श्री गेहरीलाल पिता गंगाराम ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा तह. मावली।
2. श्री उदयलाल पिता गंगाराम ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा तह. मावली।
3. श्री निलकंठ पिता गंगाराम ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा तह. मावली।
4. श्री सुन्दरलाल पिता गंगाराम ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा तह. मावली।

.....प्रार्थीगण

**बनाम**

1. श्रीमती होशियारबाई पिता धनरूप पत्नी गेहरीलाल ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा तह. मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली।

.....विपक्षीगण

**उपस्थित–1.** श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री जसवन्त राय चौहान, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## –: : निर्णय : :–

**दिनांक : 24.12.2019**

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि हम प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजीयात मौजा चन्देसरा पटवार हल्का चन्देसरा तह. मावली में निम्न आराजी स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 साथ संलग्न हैं। आराजी नम्बर 769, 807, 809, 811, 812, 817, 2984 किता 7 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात में हम प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज हैं।
2. प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात जो संयुक्त शामलाती रूप से राजस्व रेकार्ड में हम प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 के नाम से हिस्सेनुसार दर्ज है, परन्तु मौके पर बंटवाडा नहीं कर रखा है, जिस पर शामलाती रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।
3. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात जो हम प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 के संयुक्त खातेदारी हिस्से से दर्ज है, परन्तु रिकार्ड अनुसार बंटवाडा नहीं होने से हम प्रार्थीगण को भारी असुविधा उत्पन्न हो रही हैं व प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात को विकसित करने एवं उपजाऊ बनाने में भारी असुविधा उत्पन्न हो रही हैं। विपक्षी सं. 1 के बदनियति आ जाने से विपक्षी सं. 1 नाजायज रूप से कब्जा करने की नियत से बिना बंटवाडा कराये उक्त आराजीयात में कब्जा करने नया निर्माण कार्य कर इसकी वर्तमान स्थिति बदलने एवं उक्त वर्णित आराजीयात पर खुर्द–बुर्द एवं हस्तान्तरित करने पर आमादा है तथा बिना बंटवाडा कराये विपक्षी सं. 1 को उक्त वर्णित आराजीयात पर कोई नया निर्माण कार्य करने एवं उक्त वर्णित आराजीयात को खुर्द–बुर्द एवं किसी भी तरह से हस्तान्तरित करने का विपक्षी सं. 1 को कोई हक व अधिकार नहीं है विपक्षीगण को

इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जाना आवश्यक हैं कि विपक्षी सं. 1 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में किसी भी प्रकार नया निर्माण नहीं करे न ही उक्त वर्णित आराजीयात को खुर्द–बुर्द व किसी भी तरह से हस्तान्तरित कन कर न ही किसी अन्य से करावे एवं उक्त आराजीयात की वर्तमान स्थिति में किसी भी तरह से फेर–बदल नहीं करे।

4. यह कि हम प्रार्थीगण का प्राइमाफेसी केस है, क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित जमीन हम प्रार्थीगण के संयुक्त हिस्सेनुसार कब्जे अधिकार आधिपत्य में चली आ रही है तथा सुविधा संतुलन भी हम प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। इसलिए हम प्रार्थीगण उक्त आराजीयात को अपने नाम हिस्सेनुसार स्वतंत्र रूप से दर्ज कराने के अधिकारी हैं। हम प्रार्थीगण ने विपक्षी सं. 1 को दिनांक 04.06.2017 को प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का बंटवाडा कराने के लिए कहा तो विपक्षी सं. 1 ने कोई ध्यान नहीं दिया और प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का बंटवाडा कराने से इन्कार हो गये और उक्त आराजीयात पर अवैध कब्जा करने की नियत से ट्रेक्टर से खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हो रहा है इसलिए हम प्रार्थीगण को विवश होकर यह वाद पत्र प्रस्तुत करना पड रहा हैं। जिससे प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 04.06.2017 को उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।
5. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्व निम्न आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करायी जावे कि वाद के निस्तारण होने तक प्रार्थना पत्र में अंकित आराजीयात में प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जे की जमीन पर विपक्षीगण कोई दखलन्दाजी न तो स्वयं करे, ना ही किसी अपने एजेन्ट से करावे तथा न ही उक्त आराजीयात में ट्रेक्टर व कृषि यंत्र से खुर्द–बुर्द तथा न ही उक्त आराजीयात के वर्तमान स्वरूप में बदलाव करे, प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में अंकित आराजीयात का शांति पूर्ण उपयोग–उपभोग करने देवें। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।
6. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 द्वारा पर्याप्त अवसर मिलने पर भी जवाब प्रस्तुत नही किया जिससे दिनांक 15.03.18 को जवाब का अवसर बन्द किया गया। राजपेरोकार द्वारा औपचारिक पक्षकार होने से जवाब नहीं देना चाहा।
7. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि विपक्षी खातेदार है और खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।
8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः–

1. *<u>प्रथम दृष्टया मामला–</u>* हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 के नाम पर दर्ज हैं जो जमाबन्दी से स्पष्ट है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण द्वारा एक बंटवाडे का मूल वाद प्रस्तुत किया हैं उसी के साथ यह प्रार्थना पत्र लगाया हैं। चूंकि वादग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण व विपक्षी सं 1 दोनो ही खातेदार हैं। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला दोनों ही पक्षकारो के अपने अपने

हक तक बनता हैं। अतः उक्त बिन्दु आंशिक रूप से प्रार्थीगण के पक्ष में साबित किया जाता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 दोनो ही खातेदार हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 दोनों के पक्ष में होने से सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी दोनों ही पक्षकारों के पक्ष में साबित होता हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक निर्णित किया जाता हैं।
3. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि का खातेदार प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 दोनों ही हैं और दोनों ही खातेदार होने से उभय पक्ष उक्त भूमि पर अपने अपने हक हिस्से का उपयोग उपभोग करने हेतु स्वतंत्र हैं। यदि कोई भी पक्ष एक दूसरे के हिस्से/कब्जे काश्त की भूमि में दखलन्दाजी करता हैं तो दोनों ही पक्षकारों को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी दोनों ही पक्षकारों के पक्ष में साबित होता हैं। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में आंशिक निर्णित किया जाता है।

9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी सं. 1 के विरूद्ध बंटवाडा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 खातेदार हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बंटवाडे के वाद में पक्षकारों के मध्य बंटवाडा/मूल वाद के निस्तारण होने तक उभय पक्षकारान यथास्थिति बनाए रखी जाना आवश्यक हैं। क्योंकि यदि पक्षकारों द्वारा दौराने वाद वादग्रस्त भूमि किसी भी प्रकार की कोई फेर बदल कर देते है तो अनायास ही उक्त मुकदमें में पैचीदगीया बढेगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 के पक्ष में साबित होते हैं। इसलिए केवल प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर केवल विपक्षी सं. 1 को ही पाबंद नहीं किया जा सकता हैं। चूंकि विभाजन का वाद है। इसलिए विभाजन होने तक दोनों ही पक्षकारों को यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए, ताकि वाद में अनावश्यक पैचीदगीया पैदा ना हो। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता हैं।

## –: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर मौजा चन्देसरा पटवार हल्का चन्देसरा की आराजी नम्बर 769, 807, 809, 811, 812, 817, 2984 किता 7 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

**(अक्षय गोदारा I.A.S.)**
**सहायक कलक्टर**
**(SDO)मावली**

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.01.09 18:01:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: